वि.फौ.प्र.सं. 189 / 26
मनोज / सरकार
दि. 01.07.2026

वि.फौ.प्र.सं. 190 / 26
दीपक / सरकार
दि. 01.07.2026

न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश सं.–01, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– **दीपक पाराशर,** आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
वि.फौ.प्र.सं. :– 189 / 2026
सी.आई.एस.नं. :– 490 / 2026
C.N.R. Number :– RJHG010012492026

1. मनोज पुत्र मोहनलाल, उम्र 21 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज.
2. सुभाष पुत्र सतपाल, उम्र 24 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज.
3. सुशील पुत्र राजेन्द्र कुमार, उम्र 22 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज.

––प्रार्थीगण–अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

वि.फौ.प्र.सं. :– 190 / 2026
सी.आई.एस.नं. :– 491 / 2026
C.N.R. Number :– RJHG010012722026

दीपक पुत्र मंगलाराम, आयु 21 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज.

––प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना गोलूवाला, हनुमानगढ की प्राथमिकी सं0 192 / 2026 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 333, 190, 191(2), 191(3), 125, 189(2), 324(4) बीएनएस

उपस्थिति :–

1. श्री सुखदेव सिंह सिद्धू– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण मनोज, सुभाष व सुशील की ओर से
2. श्री राजेश छाबडा– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी दीपक की ओर से
3. विद्वान अपर लोक अभियोजक–अप्रार्थी राज्य की ओर से

वि.फौ.प्र.सं. 189 / 26
मनोज / सरकार
दि. 01.07.2026

वि.फौ.प्र.सं. 190 / 26
दीपक / सरकार
दि. 01.07.2026

—: आदेश :— **दिनांक : 23.06.2026**

1. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में धारा 483 बीएनएसएस के अन्तर्गत पृथक—पृथक प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जहां से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुये। दोनों ही जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण दोनों प्रार्थना पत्रों का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

2. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण से काई अनुसंधान बरामदगी शेष नहीं है। कारित अपराध की अन्वीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है जिसमें मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। उनका नाम पर्चा एफआईआर में वर्णित भी नहीं है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. जिसका विरोध करते हुये विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा उपहति या हमला कारित करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार का अपराध कारित कर परिवादी के घर में घुसकर मारपीट व तोडकर की गई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मेरे द्वारा उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, तर्को पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी सुंदरलाल ने एक प्रार्थना पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला, हनुमानगढ को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह निवासी वार्ड नं. 3, लोगावाला, पुलिस थाना गोलूवाला का रहने वाला है। उसके गांव का प्रदीप माटी पुत्र श्री सहीराम ओड़ नशे का कारोबार करता है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा संबंधित विभाग को दी गई थी, इसी बात की रंजिश रखते हुए दिनांक 20.06.2020 को दोपहर करीब 02.00 से 02.30 बजे के मध्य प्रदीप पुत्र सहीराम ओड़, बिदुरम पुत्र दयालाराम नायक, राजू पुत्र डुंगराराम बावरी, सुभाष पंडित, अनुराग सोनी पुत्र सुन्दरलाल सोनी, जॉन मण्ही पुत्र सावन सिंह, रवि पुत्र भगवानाराम नायक निवासी लोगावाला, सदीप नायक, योगेश उर्फ मोटी पुत्र श्री मदनलाल, सुरेन्द्र ओड़ पुत्र बेदप्रकाश, चम्पा देवी पत्नी सहीराम, गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश, धर्मपाल की पत्नी, प्रदीप की पत्नी, सुरेन्द्र ओड़ की पत्नी तथा अन्य 20—25 व्यक्ति एक राय होकर हाथों में लाठी, डंडे, गंडासे, तलवार आदि लेकर मेरे घर में जबरन घुस आए, आरोपिगण ने मुझे तथा सुमन कुमार को पकड़कर लातघूंसों मारपीट की, उन्होंने मेरी नई बिना नम्बर की मोटरसाइकिल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया तथा बोलेरो कैंपर नम्बर **RJ13 GB 4937** को मुख्य लाईट, शीश एवं बम्पर व मेरे घर में लगे सीसीटीवी के दो कैमरे व दो बोक्सम के किवाड़ तोड़कर नुकसान पहुंचाया, शोर—शराबा सुनकर विमला देवी, परमेश्वरी देवी, कुशलाल व जीतराम बीच—बचाव हेतु आए तो उनके साथ भी मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई। इसके बाद सभी आरोपीगण ईंट—पत्थर फेंकते हुए पड़ोसी रामलाल लुहार के नौहर में घुस गए तथा वहां रखा सामान, मटके, चार कुर्सियों एवं अन्य सामान तोड़ दिया, साथ ही लोहे की सब्बल, धन व हथौड़ा उठाकर अपने साथ ले गए, इसी दौरान आरोपिगण ने लीलुराम नायक की गालियां निकालते हुए उसके नौहर में बंधे भेड़ के बच्चों पर पत्थरों फेंके गये, मारपीट के दौरान मेरे छाती पेट, कोहनियों एवं आंख पर चोटें आई है तथा पवन कुमार के हाथ में गंभीर चोट आने से फ्रैक्चर हो गया है। आरोपीगण जाते समय धमकियां देते हुए कहने लगे कि वे हंटर गैंग के सदस्य हैं तथा भविष्य में भी जान से मार देंगे। उक्त व्यक्तियों ने संगठित होकर मेरे घर में घुसकर मारपीट की, वाहनों को नुकसान पहुंचाया, पड़ोसियों की संपत्ति में तोड़फोड़ कर नुकसान कारित किया है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 192 / 2026 पीएस गोलूवाला में दर्ज की जाकर अनुसंधान उपरांत अनुसंधान अधिकारी ने अन्य

सहअभियुक्तगण सहित प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 333, 190, 191(2), 191(3), 125, 189(2), 324(4) बीएनएस में अपराध प्रमाणित माना है।

5. केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान बरामदगी शेष नहीं है। वे दिनांक 22/23.06.2026 से अभिरक्षा में है। कारित अपराध की अन्वीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है, जिसमें मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम पर्चा एफआईआर में वर्णित भी नहीं है। अभियुक्तगण मनोज, सुभाष, सुशील व दीपक का कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। संदीप का मात्र एक प्रकरण है जो भी भिन्न प्रकृति का है।

6. अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये जाने बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण संख्या 1. मनोज पुत्र मोहनलाल, उम्र 21 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज., संख्या 2. सुभाष पुत्र सतपाल, उम्र 24 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज., संख्या 3. सुशील पुत्र राजेन्द्र कुमार, उम्र 22 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज., संख्या 4. दीपक पुत्र मंगलाराम, आयु 21 साल, निवासी– वार्ड नंबर 08, गोलूवाला सिहागान, पुलिस थाना गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राज. की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त 25 हजार रूपये का स्वंय का मुचलका और 25–25 हजार रूपये की सुदृढ़ प्रतिभूति विचारण न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय की पेश कर तस्दीक करवावे कि वह नियमित रूप से न्यायालय में पेशी पर उपस्थित आता रहेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर छोड दिया जावे। आदेश की एक सत्य प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावे।

(दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01
हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01
हनुमानगढ़

JYOTI
Digitally signed by JYOTI
Date: 2026.07.01 16:42:49 +0000